



प्राथमिक डिक्री

अज अदालत उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर व इजलास लक्ष्मीकान्त कटारा आर.ए.एस.

1. पेमा पुत्र स्व0 रामपाल जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर -वादी

बनाम

- 1- कन्हैया पुत्र गजानन्द जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
- 2- मीठालाल पुत्र गजानन्द जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
- 3- मानजी पुत्र सावल्या जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
- 4- मदनलाल पुत्र सावल्या जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
- 5- बत्तीलाल पुत्र सावल्या जाति मीना निवासी रामडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
- 6- राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
- 7- भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्रबन्धक ,सवाई माधोपुर

- प्रतिवादी

दावा घोषणा ,तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा 188 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर 155/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री लक्ष्मीकान्त कटारा ,आर0ए0एस0 उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर। वकील वादी की ओर से श्री पुरुषोत्तम गोयल एड0 तथा वकील प्रतिवादी की ओर से श्री नवीनशंकर नागर एड0 उपस्थित। अतः तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वाके ग्राम रामडी की जमाबंदी सम्बत 2066-69 के खाता संख्या 18 में अंकित दर्ज खसरा नंबर 69,84,85,86,97,250,471,472,480,833,875,876,922,931,933,934,934 / 1572,935,937,938,976,1418 कुल खसरा संख्या 22कुल रकबा 5.09है0में अंकित सहखातेदारान की राजस्व रिकार्ड के हिस्से अनुसार तथा राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार तकासमा करके तकास्मा रिपोर्ट इस न्यायालय में मय नक्शा ट्रेस भिजवाना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निज - मुबलिग - बाबत -खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह Nil...फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक दृ Nil...अदा करें।

डिक्री मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.04.2018 को जारी की गई।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मुद्दे	रुपया	मुद्दायलह	रुपया
रआम्प अर्जी दावा	-	रआम्प अर्जी दावा	-

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर